

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 2074 / 12

संस्थित दिनांक -31 / 12 / 12

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर
जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

वास्को जैफरिन वल्द थामस जैफरिन
उम्र 46 वर्ष नि-वार्ड नम्बर 01 बूढ़ी
बालाघाट जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 16 / 01 / 2017 को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 05 / 12 / 12 को शाम करीब 06:00 बजे ग्राम झारा थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन पिकप क्रमांक एम.पी.02 / ए.बी. -2840 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दिवरिया को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को मृतक दिवरिया खेत से धान लेकर बैलगाड़ी से घर जा रहा था। ग्राम झारा के गिरानी पुलिया पर 06:00 बजे करीब बैहर की ओर से फारेस्ट विभाग की हरे रंग की पिकअप गाड़ी के चालक ने तेज गति लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे दिवरिया को चोट लगी और वह बेहोश हो गया था। शासकीय अस्पताल बैहर में ईलाज के दौरान आहत की मृत्यु हो गयी थी, मर्ग जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। मृतक का पी0एम0 करवाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा वाहन जप्त किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध निर्णय के चरण 01 में वर्णित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये जाने पर अभियुक्त ने निर्णय के

चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दि.02/12/12 को शाम करीब 06:00 बजे ग्राम झारा थाना बैहर अंतर्गत लोक मार्ग पर वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.02/ए.बी.-2840 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दिवरिया को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2,

5. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भूपेन्द्र (अ.सा.7) का कथन है कि घटना आज से लगभग दो से तीन साल पहले शाम के 06:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह बैलगाड़ी में धान भरकर जा रहा था और उसके बड़े पिता जी गाड़ी के पीछे-पीछे चल रहे थे। आवाज आने पर उसने पलटकर देखा तो फारेस्ट विभाग की गाड़ी दिवरिया को नाले के पास एक्सीडेंट करके भाग गयी थी। उसने आवाज लगायी किन्तु वह नहीं रुका। फिर उन्होंने बड़े पिताजी के लड़के को बुलाया और बैहर अस्पताल लेकर गये, अस्पताल में ही उसके बड़े पिता जी दिवरिया की मृत्यु हो गयी थी। सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था वह तेजगति से चल रहा था। उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी09 से होती है।

6. समलसिंह (अ.सा.5) का कथन है कि घटना के समय आवाज आने पर वह घटनास्थल गया तो दिवरिया बेहोश हालत में था, गाड़ी घटनास्थल पर नहीं थी। बेहोश हालत में दिवरिया को अस्पताल ले गये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी वास्को ने गाड़ी को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दिवरिया को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की थी।

7. नान्हूलाल (अ.सा.3) का कथन है कि घटना के समय वह अपने

घर पर था। दिवरिया धान लेकर उसके घर जा रहा था। वन विभाग की गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी जिससे दिवरिया की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी।

8. सरवनदास (अ.सा.2) का कथन है कि घटना के समय वह अपने घर से मोटरसाईकिल से गांव तरफ जा रहा था। वहां पर देखा कि मृतक दिवरिया पुल के ऊपर पड़ा हुआ था और सामने एक बैलगाड़ी थी जिसमें धान भरा हुआ था। फिर उसने बैलगाड़ी चालक भूपेन्द्र से पूछा जिसने बताया कि दिवरिया को वन विभाग की गाड़ी ने ठोस मारा है। फिर उसने गांव जाकर लोगों को उक्त घटना के बारे में बताया था। सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के पहले बैहर फारेस्ट की हरे रंग की पिकअप गाड़ी रास्ते में मिली थी।

9. गणेश (अ.सा.1) का कथन है कि घटना दिनांक को वह खेत तरफ अपने जानवर चरा रहा था। उसके पिताजी बैलगाड़ी के पीछे-पीछे घर तरफ जा रहे थे। तब रोड पर उसके पिताजी का एक्सीडेंट वन विभाग की पिकअप से हो गया था। घटनास्थल पर उसकी पत्नी कुन्ती व उसके पड़ोसी का लड़का समलसिंह मौजूद था। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचने पर उसके पिता जी रोड़ किनारे पुलिया के पास बेहोश हालत में पड़े थे। उसके पिताजी का दुर्घटना में बायां पैर टूट गया था, मस्तिष्क फट गया था और पूरे शरीर पर वाहन का पहिया चढ़ने से चोटें आयी थीं। वह अपने पिताजी को उठाकर शासकीय अस्पताल बैहर लाया था, जहां उनकी मृत्यु हो गयी थी।

10. भागचंद (अ.सा.6) का कथन है कि घटना दिनांक को वह अपने गांव जा रहा था। तो रास्ते में उसने देखा कि आगे ट्रक जा रहा था। वहां पर नाले के पुल के पास दिवरिया पड़ा हुआ था, उसने जाकर देखा और दिवरिया को आटो में बैठाकर अस्पताल लेकर आया था। रात्रि में उसे जानकारी लगी कि दिवरिया की अस्पताल में मृत्यु हो गयी है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो वाहन उसने जाते हुए देखा था वह हरे रंग का था और उसी गाड़ी चालक द्वारा दिवरिया का एक्सीडेंट किया गया था। उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को फारेस्ट विभाग की गाड़ी से कारित दुर्घटना में दिवरिया की मृत्यु हुई थी। जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी01 से होती है।

11. डां. एन.एस.कुमरे (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 05.12.12

को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर से उसके द्वारा टी0आई0 बैहर को प्र.पी06 की सूचना भेजकर जानकारी दी गयी कि दिवरिया जिसे 06:30 मिनट में भर्ती किया गया था, की मृत्यु शाम 07:40 बजे हो गयी थी। दिनांक 06.12.12 को थाना बैहर से आरक्षक द्वारा मृतक दिवरिया के शव को पोस्ट मार्टम हेतु लाया गया था। शव परीक्षण करने पर उन्होंने सिर के पीछे वाले भाग पर कंटीयूजन और लेसरेटेडउण्ड, दाहिने जांघ पर पीछे की तरफ अस्थिभंग, दाहिने पैर और बायें पैर के पंजे पर अब्रेजन चोट पायी थी जो मृत्यु पूर्व की थी एवं कड़ी व बोथरी वस्तु से आना संभावित थी। साक्षी के मतानुसार मृत्यु सिर पर आयी चोटों से उत्पन्न अत्यधिक रक्त स्राव के कारण संभावित थीं, जो परीक्षण के 20 घण्टे के अंदर होना संभावित थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी07 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

12. जग्गुलाल बघाडे (अ.सा.8) का कथन है कि दिनांक 05.12.12 को थाना बैहर में सी.एच.सी. बैहर से वार्डवाय सालिकराम द्वारा एक लिखित तहरीर मृतक दिवरिया की एक्सीडेण्ट से ईलाज के दौरान फौत होने की पेश की थी। तहरीर पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था जो प्र.पी05 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

13. राजिक सिद्धिकी (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 06.12.12 को थाना बैहर से मर्ग क्रमांक 49/12 की डायरी जांच हेतु प्राप्त होने पर शासकीय अस्पताल बैहर जाकर दिवरिया का शव पंचनामा कार्यवाही एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध करने के उपरांत मर्ग सदर जांच में दिनांक 06.12.12 को अपराध क्रमांक 186/12 फारेस्ट विभाग बैहर की हरे रंग की पिकअप के चालक के उपर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जो प्र.पी09 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को घटना स्थल पर मौकानक्शा गवाह भूपेन्द्रसिंह के बताये अनुसार प्र.पी04 तैयार किया था एवं दिनांक 23.12.12 को आरोपी वास्को जैफरिन से गवाहों के समक्ष हरे रंग की पिकअप क्रमांक एम.पी.02/ए.बी.-2840 मय दस्तावेजों के जप्तीपत्रक प्र.पी07 के अनुसार जप्त किया था एवं उसी दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी08 तैयार किया था। उक्त दस्तावेजों के बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विवेचना के दौरान गवाह गणेश, भूपेन्द्र, समलसिंह, सरवनसिंह, सुकेश, नान्हूलाल, जेदूलाल, भागचंद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.02/ए.बी.2840 का मैकेनिकल परीक्षण अकबर खान से करवाया था। विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

14. यद्यपि जप्ती गिरफ्तारी साक्षी (अ.सा.10) परीक्षण कर्ता अकबर खान (अ.सा.12) पूर्णतः पक्षद्रोही रहे हैं। तथापि विवेचक साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है जिससे उनकी कार्यवाही पर संदेह हो। उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा ही वाहन चालन किया जा रहा था क्योंकि अभियुक्त द्वारा साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं और ना ही उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है कि घटना के समय वह अन्यत्र था। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा वाहन उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर दुर्घटना की गयी। घटना का केवल एक ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भूपेन्द्रसिंह अ0सा07 है, उक्त साक्षी ने ही अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आवाज आने पर पीछे पलटकर देखने पर फारेस्ट की गाड़ी के एक्सीडेंट करके भागने के कथन किये हैं तथा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी द्वारा वाहन को तेजगति से चलाने के कथन किये हैं परंतु अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह देख नहीं पाया था कि वाहन किस गति से चल रहा था। अन्य सभी साक्षियों ने घटना ना देखने एवं घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचने के कथन किये हैं। जिससे स्पष्ट है कि घटना के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। ऐसी स्थिति में मात्र आहत की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

15. उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर दिवरिया को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की।

16. अतः अभियुक्त वास्को जैफरिन को भा.दं0सं0 की धारा 279, 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी. 02/ए.बी.-2840 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

19. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)